



श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसूलीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसूलीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना मैं उक्त बन्द वसूलीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री बलवंत पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिस्नोई आयु 46 वर्ष निवासी वार्ड नं० 12 जौड़िकिया (खथावाली) थक 36 एमओडी तहसील श्रीगंगानगर जिला पंजीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा पत्र, मूल रसीद आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री रामप्रताप पुत्र श्री बगजवत राम जाति बिस्नोई निवासी वार्ड नं० 12 जौड़िकिया (खथावाली) थक 36 एमओडी तहसील श्रीगंगानगर जिला हनुमानगढ़ ने वसूलीयत दिनांक 22.02.2019 को कराई थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 03.04.2019 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 22.02.2019 को करवायी गयी बंद वसूलीयत करवायी गयी थी जिसको खोला जाकर निष्पदन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को गवाहन श्री सतपाल पुत्र श्री लेखराम एवं श्री सदीप कुमार पुत्र श्री रामकृष्ण ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान श्री जगमोहन आहूजा, श्रीगंगानगर द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विहितसम्मत कार्यवाही से निष्पत्ति दृष्टिक्रम जमा करवाकर वसूलीयत खोलने जान हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है
25/6/18
40/18

25/6/18

2019/00121